प्रकरण संख्या :— 25 / 26
तहसीलदार म0 थाना बनाम किशनलाल
निर्णय दिनाँक :— 13.05.2026

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

| | |
|---|---|
| पीठासीन अधिकारीः— | पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.) |
| प्रकरण संख्या :— | 25 / 26 |
| दायर दिनाँक :— | 05.05.2026 |
| निर्णय दिनाँकः— | 13.05.2026 |

उनवान :—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 मनोहरथाना

बनाम

किशनलाल पिता मन्नालाल जाति सोनी निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार, सरकार पैरोकार

2 अप्रार्थीगण जर्ये श्री राहुल सोनी (मुख्तार आम नियुक्त)

—: निर्णय :— दिनांकः 13.05.2026

01. यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार तहसील मनोहरथाना द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है किः— ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ की आराजी खाता संख्या 863 खसरा नं0 1844 / 838 रकबा 0.1619 हैक्टेयर अप्रार्थी की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।
02. उक्त प्रश्नगत आराजी जिलाधीश (उद्योग) झालावाड़ के आदेश क्रमांक 2970—74 / राजस्व / 81 दिनांक 19.06.1981 द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ 99 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित की गई थी।
03. आवंटन आदेशानुसार उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ राजस्व रिकाड़ में दर्ज किया जाना था जो कि नामा0 संख्या 503 दिनांक 17.07.1981 से प्रविष्टि औद्योगिक क्षेत्र गैर खातेदार श्री किशनलाल पुत्र मन्नालाल सोनी निवासी गांव दर्ज होने से तत्कालीन जमाबंदी में गैर खातेदार प्रविष्टि आ गई जो कि वर्तमान जमाबंदी संवत 2072—75

13.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

जमाबंदी 2077 से स्थायी की खाता संख्या 863 में भी गैर खातेदार दर्ज है जो गलत है।

04. रिपोर्ट पटवारी, जांच भू अभिलेख निरीक्षक एवं उक्त विवेचनानुसार नामा0 संख्या 503 दिनांक 17.07.1981 के कॉलम नं0 11 एवं तत्कालीन जमाबंदी में दर्ज गैर खातेदार प्रविष्टि जो सहवन से गलत दर्ज हो गई जो औद्योगिक प्रयोजनार्थ लीजधारक शुद्ध किया जाना अपेक्षित है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के आराजी खाता संख्या 863 खसरा नं0 1844/838 रकबा 0.1619 हैक्टेयर में दर्ज प्रविष्टि किशनलाल पुत्र मन्नालाल हिस्सा पूर्ण जाति सोनी सा देह गैर खातेदार के स्थान पर किशनलाल पुत्र मन्नालाल हिस्सा पूर्ण जाति सोनी सा देह औद्योगिक प्रयोजनार्थ लीजधारक शुद्ध दर्ज किया जावें।

05. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थी गैर–खातेदार को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के नोटिस अदम तामील न्यायालय हाजा को प्राप्त हुए। अप्रार्थी की ओर से उनके वारिसान राहुल सोनी पुत्र श्रीनाथ सोनी निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जो कि लीज धारक श्री किशनलाल पुत्र श्री मन्नालाल जाति सोनी के पोत्र एवं मुख्तार आम घोषित है ने स्वयं उपस्थित हो जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किये गए।

06. अप्रार्थी मुख्तार आम ने अपने जवाब में बताया कि ग्राम मनोहरथाना के माल कि खाता संख्या 863 खसरा नं0 1844/838 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि किशनलाल पिता मन्नालाल जाति सोनी निवासी मनोहरथाना के गैरखातदारी में दर्ज है। उक्त आराजी किशनलाल को 99 वर्ष की लीज पर आवंटित हुई थी एवं तब से ही उक्त आराजी किशनलाल एवं उनके वारिसान काबिज है तथा आवंटन नियमों की पालना करते हुए उक्त आराजी पर उद्योग चल रहा है इसलिए उक्त आराजी पर गैर खातेदार से लीजधारक दर्ज करवाना चाहता हुं। यह भी उल्लेख किया है किशनलाल पिता मन्नालाल फोत हो चुके है एवं उपस्थित राहुल सोनी किशनलाल का पोत्र है एवं किशनलाल सोनी के सभी विधिक वारिसान का मुख्तार आम नियुक्त हूं। जवाब प्रस्तुंत कर ग्राम मनोहरथाना के माल कि खाता संख्या 863 खसरा नं0 1844/838 रकबा 0.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)
सत्यमेव जयते

13.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

1619 हैक्टेयर भूमि को गेर खातेदारी से लीज धारक में दर्ज करने का निवेदन किया है।

07. उपस्थित मुख्तार आम राहुल सोनी पुत्र श्रीनाथ सोनी ने अपने जवाब के समर्थन में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या अपील / एलआर0 / 47 / 97 / झालावाड़ बउनवान राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड़ बनाम किशनलाल जर्ये का0 मु0 1लगा0 10 निर्णय दिनांक 31.01.2002 एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के प्रकरण रिट पीटिशन संख्या 4623/2002 बउनवान राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी अकलेरा बनाम किशनलाल पुत्र मन्नालाल सोनी जरिये का0 मु0 1 लगा0 10 के आदेशिका दिनांक 16.07.2004 की प्रति पेश की है।

08. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार मनोहरथाना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम मनोहरथाना के माल कि खाता संख्या 863 खसरा नं0 1844/838 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि किशनलाल पिता मन्नालाल जाति सोनी निवासी मनोहरथाना के गैरखातदारी में दर्ज है के स्थान पर किशनलाल पुत्र मन्नालाल हिस्सा पूर्ण जाति सोनी सा देह औद्योगिक प्रयोजनार्थ लीजधारक शुद्ध दर्ज किया जाना नियमानुसार है। इसी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

09. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार तहसील मनोहरथाना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पटवारी मौका रिपोर्ट एवं अप्रार्थी के वारिसान की ओर से उपस्थित राहुल सोनी पुत्र श्रीनाथ सोनी, मुख्तार आम वारिसान किशनलाल सोनी पुत्र मन्नालाल सोनी द्वारा प्रस्तुत जवाब अप्रार्थी एवं दस्तावेजात मय निणर्य की प्रति माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर दिनांक 31.01.2002 एवं आदेशिका प्रति माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर दिनांक 16.07.2004 का पूर्ण अवलोकन किया एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन एवं बहस पर मनन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी किशनलाल पिता मन्नालाल जाति सोनी निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जो कि प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 863 खसरा नं0 1844/838 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि में

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.) सत्यमेव जयते

13.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 25 / 26
तहसीलदार म0 थाना बनाम किशनलाल
निर्णय दिनाँक :– 13.05.2026

वर्तमान में गैरखातेदार प्रविष्टि दर्ज है सहवन से गलत दर्ज हुआ है अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं किशनलाल पिता मन्नालाल जाति सोनी निवासी मनोहरथाना के गैरखातदारी में दर्ज है के स्थान पर " किशनलाल पुत्र मन्नालाल हिस्सा पूर्ण जाति सोनी सा देह औद्योगिक प्रयोजनार्थ लीजधारक " दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील मनोहरथाना को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

13.5.26
(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारीं,
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मनोहरथाना
सत्यमेव जयते
जिला झालावाड़ (राज.)